भाग 4 ग

उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश

जबलपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 1976

क्र. 15739–चार–12–31–72 छ – भारत के संविधान की धारा 229 खंड (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय मुख्य न्यायाधिपति एतद द्वारा, आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात :–

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ (1) ये नियम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम 1976 कहलायेंगे,

(2) ये नियम, 1 जनवरी 1974 से प्रवृत्त हुए समझे जावेंगे,

2. परिभाषाएँ – इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर, अभिप्रेत है;

(ख) ''आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी'' से अभिप्रत है ऐसे अंशकालिक आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को अपवर्जित करते हुए जो कि वर्ष में कतिपय कालावधियों के लिये ही नियुक्त किये जाते हैं उच्च न्यायालय के स्थापना में पूर्णकाल के लिये नियुक्त व्यक्ति और जिसे मासिक आधार पर भुगतान किया जाता हो तथा जिसका वेतन ''कार्यालय आकस्मिकताएं'' पर प्रभारित किया जाता है;

(ग) ''कर्मचारी'' से अभिप्रेत है आकस्मिकता से वेतन पाने वाला कर्मचारी;

(घ) ''उच्च न्यायालय'' से अभिप्रेत है ''मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय'' उसके खण्डपीठों सहित;

(ड.) ''उच्च न्यायालय के अधीन नियमित कर्मचारियों'' से अभिप्रेत है ऐसे कर्मचारी जो नियमित नियोजन में है और उच्च न्यायालय के अधीन ऐसे स्थायी या अस्थायी पद धारणा कर रहे हों जो आकस्मिकता से वेतन पाने वाले पदों से भिन्न हों;

(च) ''सेवा'' से अभिप्रेत है, उच्च न्यायालय के आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा;

(छ) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची.

3. विस्तार तथा प्रयुक्ति – इन नियमों में अन्यथा उपबंधित किये गये के सिवाय उच्च न्यायालय भर्ती नियम, 1936 जैसे कि समय–समय घोषित किये गये हों अथवा ऐसे ही अन्य तदनुरूप नियम जो माननीय मुख्य न्यायाधिपति द्वारा भारत के संविधान की धारा 229 खण्ड (2) अंतर्गत बनाये गये हों या अपनाये गये हों, इस सेवा के सदस्यों को लागू होंगे.

4*. सेवा का गठन – (1) सेवा में वे व्यक्ति होंगे जो 1 जनवरी 1974 को आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के रूप में पूर्णकाल सेवा कर चुके हों तथा जिन्हें 31 मई 1975 को अथवा उसके पूर्व उसी हैसियत में नियुक्त किया गया था एवं ऐसे आकस्मिकता से वेतन पाने वाले पूर्णकालिक कर्मचारी जो 1–6–1975 अथवा उसके पश्चात् नियुक्ति किये जाने पर पांच वर्ष, की लगातार सेवा पूर्ण कर चुके हैं और जिन्होंने अधिवार्षिकी की वह आयु पूरी न की हो जो कि उच्च न्यायालय के अधीन नियमित नियोजन में समतुल्य वर्ग के पद धारण करने वाले कर्मचारियों के लिये विहित है. (* उच्च न्यायालय की अधीसूचना क्रमांक ए/4229 दिनांक 20–6–1984 द्वारा संशोधित। यह संशोधन दिनांक 1–6–1975 से प्रभावशील माना जावेगा)

5. वे व्यक्ति जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भरती किये गये हों.
वर्गीकरण – सेवा का वर्गीकरण तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची में अंतविष्ट उपबंधों के अनुसार होगी.

6. प्रवर्गीकरण – आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी इन नियमों के प्रयोजन के लिये निम्नलिखित दो प्रवर्गो में विभाजित किये जावेंगे :–

(एक) स्थायी, तथा

(दो) अस्थायी

वे कर्मचारी जो 1 जनवरी 1974 को सात वर्ष अथवा उससे अधिक समय सेवा में हों, स्थायी आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की प्रास्थिति के लिये पात्र होंगे.

7. भरती तथा पदोन्नति. – (1) अनुसूची में विनिर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी के अधीन जबलपुर, इन्दौर तथा ग्वालियर की स्थापनाएं भरती, ज्येष्ठता तथा पदोन्नति को सम्मिलित करते हुए समस्त प्रयोजनों के लिये एक इकाई गठित करेगी.

(2) आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति निम्नलिखित तरीकों में से किसी एक या ऐसे अधिक तरीकों से जो कि विहित की जाये, की जावेंगी, अर्थातः–

(एक) सीधी भरती द्वारा

(दो) पदोन्नति द्वारा

(तीन) स्थानांतर द्वारा

(3) पदोन्नति ज्येष्ठता के आधार पर की जावेगी.

8 – प्रवेश करने वाले नवीन व्यक्तियों की आयु, शारीरिक योग्यता तथा अधिवार्षिकी की आयु –

(क) प्रवेश करने वाले नवीन व्यक्तियों की आयु तथा अधिवार्षिकी की आयु और

(ख) सेवा के समस्त सदस्यों की अधिवार्षिकी की आयु के विषय में वे ही नियम तथा नीतियां लागू होगी जो कि नियमित नियोजन में समतुल्य प्रवगों के शासकीय सेवकों को लागू हैं।

8 –क– <u>अस्थायी आकस्मिकताओं से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा समाप्ति</u> –

नियुक्ति के आदेश में समाविष्ट उपबन्धों के अधीन रहते हुये आकस्मिक वेतन भोगी कर्मचारी की सेवा, किसी भी समय, एक माह के लिखित नोटिस, जो कि अस्थायी आकस्मिक वेतन भोगी कर्मचारी द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अस्थायी आकस्मिक वेतन भोगी कर्मचारी को दिया गया हो, समाप्त की जा सकेगी, किन्तु उपबन्ध यह कि किसी भी आकस्मिक वेतन भोगी कर्मचारी की सेवा नोटिस के एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ता जो समय समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार हो, देकर या जैसी भी स्थिति हो, उस अवधि के लिये जिसकी सूचना एक माह की अवधि से कम हो, उस अवधि का वेतन तथा भत्ते का भुगतान कर तत्काल समाप्त की जा सकेगी।
(उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक ए/965/चार–12–31/72–6,दिनांक 1.02.85 द्वारा संशोधित)

9. ज्येष्ठता सूची.– पदोन्नति के साथ ही साथ छंटनी के प्रयोजनों के लिये, प्रत्येक प्रवर्ग की ज्येष्ठता सूची प्रत्येक इकाई में बनाये रखी जावेगी. जब कोई कर्मचारी कार्य के हित में एक इकाई से दूसरी इकाई में स्थानांतरित किया जाय, तो यथास्थिति पदोन्नति या छंटनी के विषय में, मूल इकाई में उसकी ज्येष्ठता पर ध्यान दिया जायेगा।

10. सेवा अभिलेख.– स्थायी या अस्थायी कर्मचारियों के समुचित सेवा अभिलेख प्रत्येक इकाई स्तर पर सम्यक् रूप से सत्यापित किये जाकर उस प्रारूप में रखे जायेंगे जिसमें उच्च न्यायालय के अराजपत्रित कर्मचारी वृन्द के सेवा अभिलेख रखे जाते हैं.

11. सेवामुक्ति संबंधी प्रमाणपत्र.– उस मामले में जब कोई कर्मचारी छटनी के परिणामस्वरूप या अन्यथा सेवा छोड़ दे तो उसे, मांग की जाने पर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक प्रमाण–पत्र निम्नलिखित प्रारूप में दिया जा सकेगा, अर्थात् :–

(1) नाम.....
(2) पिता का नाम/पति का नाम.....
(3) पहचान का चिन्ह (यदि कोई हो).....
(4) ..... से ..... तक कुल सेवा
(5) सेवा छोड़ने समय धारित नियुक्ति .....
(6) वेतनमान की दर (यदि कोई हो).....
(7) सेवा छोड़ने का कारण.....
.....
.....

....
कर्मचारी के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान नियुक्त प्राधिकारी
की मुद्रा तथा पदाभिधान.

12. आचरण.– उच्च न्यायालय भरती नियम, 1936 तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 जो उच्च न्यायालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर लागू करने हेतु अपनाये गये हैं के उपबंध सेवा के सदस्यों को लागू होंगे. परन्तु यह कि ''कदाचार'' में, कर्मचारी की ओर से किये गये निम्नलिखित कार्य तथा लोप भी सम्मिलित होंगे, अर्थात् :–

(क) उच्च न्यायालय/शासन के कारबार या सम्पत्ति के संबंध में चोरी, कपट या बेईमानी;

(ख) किसी वरिष्ठ के विधिपूर्ण या युक्ति युक्त आदेश की जान बूझकर अनधीनता या अवज्ञा चाहे वह अकेले द्वारा या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर की गई हो;

(ग) उच्च न्यायालय शासकीय माल या सम्पत्ति का जानबूझकर नुकसान या हानि.

(घ) रिश्वत या अवैध परितोषण लेना या देना.

(ङ.) बिना अवकाश के आभ्यासिक अनुपस्थिति या बिना अवकाश के दस दिन से अधिक की अनुपस्थिति.

(च) आभ्यासिक विलंब से उपस्थिति

(छ) स्थापना या विभाग को लागू किसी विधि का आभ्यासिक भंग

(ज) स्थापना में कार्य घंटों के दौरान उपद्रवपूर्ण या उश्रृंखल आचरण या ऐसा कोई कार्य जिसमें अनुशासन भंग होता है.

(झ) आभ्यासिक उपेक्षा या कार्य की उपेक्षा जिसके अंन्तर्गत कार्य के घंटों के दौरान सोता पाता है.

(ट) किसी कार्य की बार–बार पुनरावृत्ति या उसका लोप.

(ठ) कार्य का पालन करने में जानबूझकर गति धीमी करना.

(ड) स्थापना की प्रक्रिया के संबंध में किसी अप्राधिकृत व्यक्ति को ऐसी कोई जानकारी प्रगट करना जो कि कर्मचारी को उसके कार्य के अनुक्रम में प्राप्त हो.

(ढ) स्थापना के परिसरों या कार्य के स्थान पर जुआ खेलना.

(ण) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के या ऐसे नियम के जो विधि का प्रभाव रखता हो, उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए हड़ताल करना या अन्य व्यक्तियों को हड़ताल करने के लिये उद्दीप्त करना.

(त) कार्य के घंटों के दौरान मद्यपान करना या नशे की हालत में पाया जाना.

(थ) राज्य की सुरक्षा के विरूद्व कोई कार्य करना.

13. शक्तियाँ.– किसी कर्मचारी पर निम्नलिखित शक्तियां प्रच्छतया पर्याप्त कारणों से अधिरोपित की जा सकेगी, अर्थात्:–

(एक) परिनिन्दा

(दो) जुर्माना, जो एक समय में एक दिन की उपलब्धियों से अधिक न हो.

(तीन) वेतन वृद्वियों या पदोन्नतियों का रोका जाना.

(चार) उपेक्षा से अथवा किसी विधि के भंग द्वारा शासन को उसके द्वारा पहुंचाई गई किसी आर्थिक हानि की पूर्ण रूप से या उसके किसी भाग की वेतन से वसूली.

(पांच) किसी एक समय में 14 दिन से अनधिक कालावधि के लिये निलंबन (किसी मजदूरी के लिये हकदार हुए बिना)

(छः) निम्न स्तर पद या ग्रेड में अवनत किया जाना.

(सात) सेवा से हटाया जाना जो भावी नियोजन के लिये अनर्हता न होगी.

(आठ) सेवा से पदच्युत किया जाना जो कि भावी नियोजन के लिये अनर्हता होगी.

14. शक्तियों को अधिरोपित करने के लिये प्रक्रिया.– (1) नियम 13 के खण्ड (छः) (सात) तथा (आठ) में विनिर्दिष्ट को गई शक्तियों में से कोई भी शक्ति अधिरोपित करने वाला आदेश –

(एक) कर्मचारी को, उसके विरूद्व कार्यवाही के प्रस्ताव की तथा उन अभिकथनों की जिनके की आधर पर वह कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है लिखित में सूचना जब ऐसा करना संभव हो, देने,

(दो) कर्मचारी को उसके विरूद्व लगाये गये अभिकथनों के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करने का यथा साध्य शीघ्र अवसर देने,

(तीन) ऐसे स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् ही दिया जायगा अन्यथा नहीं, परन्तु यह और कि ––

(1) किसी भी व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी के आदेश के बिना सेवा से पदच्युत नहीं किया जायगा और

(2) जहां माननीय मुख्य न्यायाधिपति, राज्य की सुरक्षा अथवा अन्य किसी आधार पर किसी कर्मचारी को सेवा से हटाना आवश्यक समझें वहां ऐसा करना आवश्यक नहीं होगा.

(चार) उप नियम (1) में निर्दिष्ट लिखित आदेश कर्मचारी को परिदत्त किये जाने पर तत्काल प्रभावी होगा और कर्मचारी द्वारा उसका परिदान स्वीकार करने की दशा में यह आदेश उस स्थापना के जिसमें कि वह है, सूचना फलक पर चिपका दिया जायेगा और सूचना फलक पर उसके इस प्रकार चिपका दिये जाने से यही समझा जायगा कि वह आदेश उस पर तामील कर दिया गया है.

15. अपील.– कोई भी कर्मचारी, नियम 13 के खण्ड (एक) तथा (दो) के अधीन अधिरोपित शक्ति को छोड़कर, ऊपर दिये गये नियम 13 के अधीन उस पर अधिरोपित किसी भी शक्ति के विरूद्व ऐसी शक्ति अधिरोपित करने वाले प्राधिकारी के ठीक वरिष्ठ प्राधिकारी को शक्ति अधिरोपित करने से एक माह के भीतर अपील कर सकेगा. ऐसे अपीली प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा, परन्तु यह कि जहां माननीय मुख्य न्यायाधिपति के आदेश से किसी कर्मचारी को राज्य की सुरक्षा के आधार पर अथवा किसी अन्य आधर पर पदच्युत किया गया हो तो कोई अपील नहीं होगी.

16. निर्वाचन :– यदि इन नियमों के संबंध में कोई प्रश्न उदभूत हो तो उसे माननीय मुख्य न्यायाधिपति को निर्दिष्ट किया जावेगा जिनका उस पर विनिश्चिय अन्तिम होगा.

17. छूट – इन नियमों में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसको ये नियम लागू होते हैं माननीय मुख्य न्यायाधिपति की ऐसी रीति में कार्यवाही करने की शक्ति को जो उन्हें न्याय संगत तथा उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है–

परन्तु मामले में ऐसी किसी रीति में कार्यवाही नहीं की जायगी जो कि उसके लिये इन नियमों में उपबंधित रीति से कम अनुकूल हो.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति के आदेशानुसार
एम.डी. भट्ट, रजिस्ट्रार

अनसूची

(नियम 5 देखिये)

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	नियुक्त प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		जबलपुर		
1.	ड्राइवर		अकस्मिता से वेतन पानेवाले	रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
2.	खलासी		,,	,,
3.	चौकीदार		,,	,,
4.	पानीवाला		,,	,,
5.	मेहतर		,,	,,
6.	पम्प अटेन्डेन्ट		,,	,,
7.	मुख्य माली		,,	,,
8.	माली		,,	,,
9.	बाग मजदूर (पुरूष)		,,	,,
10.	बाग मजदूर (महिला)		,,	,,
11.	लिपट मैन		,,	,,
		इन्दौर		
1.	चौकीदार		,,	,,
2.	खलासी		,,	,,
3.	पानीवाला		,,	,,
4.	मेहतर		,,	,,
5.	मुख्य माली		,,	,,
6.	माली		,,	,,
7.	बाग मजदूर		,,	,,
		ग्वालियर		
1.	लिफ्टमैन		,,	,,
2.	चौकीदार		,,	,,
3.	मुख्य माली		,,	,,
4.	खलासी		,,	,,
5.	पानीवाला		,,	,,
6.	मेहतर		,,	,,
7.	माली		,,	,,
8.	बाग मजदूर		,,	,,